

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्र.क्र.: 420 / 2014

संस्थित दि: 21 / 05 / 14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,

अन्तर्गत चौकी उकवा जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

1. रामबन पिता सूरजबन गोस्वामी, उम्र 41 साल,
निवासी वार्ड नं. 01 बुढ़ी जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. सुरेश पिता आर.डी.गोखले, उम्र 32 साल,
निवासी बिरसा थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.) आरोपीगण

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक 27 / 10 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी रामबन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 के अन्तर्गत एवं आरोपी सुरेश पर मोटरयान अधिनियम की धारा 36 / 177 के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी रामबन ने दिनांक 27.01.2014 को समय 09:30 बजे स्थान बस स्टेण्ड उकवा थाना रूपझर के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.50 / डी.0706 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं फरियादी कुमारी डॉ. सपना नागवंशी को उपहति कारित की एवं आरोपी सुरेश उक्त वाहन का पारिचालक होते हुए बिना वर्दी पहने पाया गया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है फरियादी कुमारी डॉ. सपना ने दिनांक 02.02.2014 को चौकी उकवा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई

कि दिनांक 27.01.2014 को प्रातः के 09:00 बजे उकवा से बालाघाट जाने के लिए उकवा स्टेण्ड में अपने भाई सर्वेश के साथ खड़ी थी कि नारायण बस क्रमांक एम.पी.50-पी.0706 के चालक द्वारा बस को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और पारिचालक द्वारा बस का दरवाजा एकदम खोला दिया जिससे दरवाजे में उसके दाहिने हाथ की अंगुली दब गई जिससे उसे अंगुली में चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/14 अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर असल नम्बर हेतु थाना रूपझर भेजा था जिस पर थाना रूपझर की पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 34 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(03) आरोपी रामबन को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं आरोपी सुरेश को मोटरयान अधिनियम की धारा 36/177 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर पढकर सुनाई व समझाई गई।

(04) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(1) क्या आरोपी रामबन ने दिनांक 27.01.2014 को समय 09:30 बजे स्थान बस स्टेण्ड उकवा थाना रूपझर के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन बस क्रमांक एम.पी. 50/डी.0706 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

(2) क्या इसी दिनांक समय व स्थान पर आरोपी रामबन ने वाहन बस क्रमांक एम.पी.50/डी.0706 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर फरियादी कुमारी डॉ. सपना को उपहति कारित की ?

(3) क्या इसी दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी सुरेश वाहन बस क्रमांक एम.पी.50/डी.0706 के पारिचालक होते हुए भी वर्दी पहने हुए नहीं पाया गया?

—:: सकारण — निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 :-

(05) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(06) आरोपी रामबन को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं आरोपी सुरेश को मोटरयान अधिनियम की धारा 36/177 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीगण को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया।

(07) आरोपी रामबन के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं आरोपी सुरेश के द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 36/177 के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी रामबन के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं आरोपी सुरेश के द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 36/177 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(08) अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आरोपीगण का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपीगण के द्वारा अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(09) आरोपी रामबन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप के अन्तर्गत 1000/— (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड एवं 337 के आरोप के अंतर्गत 500/— (पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड तथा आरोपी सुरेश को मोटरयान अधिनियम की धारा 36/177 के आरोप के अन्तर्गत 100/— (एक सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

जाता है। अर्थदण्ड अदा न किए जाने पर आरोपीगण को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(10) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन नारायण बस क्रमांक एम.पी.50 / पी.0706 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला, बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)